भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 704

दिनांक 21 **जुलाई**, 2022

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति

†704. **डॉ. सुकान्त मजूमदार**:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भोला सिंह:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) वर्ष 2047 तक 'ऊर्जा स्वतंत्र' बनने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सरकार ने राष्ट्रीय जैवईंधन नीति – 2018 में संशोधन किया है। इन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. जैवईंधनों के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉकों की अनुमति देना।

ii. पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर ईएसवाई 2025-26 करना।

iii. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड)/आयात उन्मुखी यूनिटों (ईओयूज) में स्थित यूनिटों के माध्यम से जैवईंधनों के उत्पादन को बढ़ावा देना।

iv. विनिर्दिष्ट मामलों में जैवईंधनों के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करना।

कार्यक्रम के तहत सरकार ने देश में 10% के औसत मिश्रण के माध्यमिक लक्ष्य को नवंबर, 2022 की निर्धारित तिथि से पहले ही जून, 2022 में प्राप्त कर लिया है।

मौजूदा एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई 2021-22) के लिए 10 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने 10.16% के मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(ग): मार्च, 2019 में सरकार ने देश में लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करते हुए दूसरी पीढ़ी (2जी) के एथेनॉल परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु समेकित जैव-एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन – वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" को अधिसूचित किया है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 1969.50 करोड़ रुपए है। पीएम जी-वन योजना के तहत वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए अधिकतम 150 करोड़ रुपए प्रति परियोजना और प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए प्रति परियोजना की वित्तीय सहायता विनिर्दिष्ट की गई है।

(घ): सरकार आयात निर्भरता कम करने, रोजगार सृजन करने, किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन अभ्यास को बढ़ावा देने आदि के व्यापक उद्देश्यों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

(ङ): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने, जैवईंधनों और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने, शोधन प्रक्रिया में उन्नयन के माध्यम से आयात को कम करने, माँग प्रतिस्थापन उपायों को अपनाने, सुसाध्य नीति परिवर्तनों के माध्यम से अतिरिक्त निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने जैसे ऊर्जा संबंधी आत्मनिर्भरता हेतु विभिन्न कदम उठा रहा है।

****